

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-८ डी०(पुनर्विनियोग)-०८-१४/२०१७-

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

157
31/3/2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा, 0011- "छात्रवृत्तियां और वृत्तियां" विपत्र कोड- N2225012770011 के 3302-मुआवजा ईकाई में ₹10,00,00,000/- (दस करोड़ रु०) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष "2251-सचिवालय- सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0023-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग" विपत्र कोड- N2251000900023 के अन्तर्गत 1301-कार्यालय व्यय में आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान नहीं रहने के कारण से ₹2,15,000/- (दो लाख पंद्रह हजार रुपये) मात्र का पुनर्विनियोग कर अतिरिक्त उपबंध के स्वीकृति का प्रस्ताव ।

आदेश- स्वीकृत ।


2- बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090 -सचिवालय, उपशीर्ष -0023 -अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड- N2251000900023 के अन्तर्गत 1301-कार्यालय व्यय इकाई में आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान नहीं रहने के कारण से ₹2,15,000/- (दो लाख पंद्रह हजार रुपये) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3- प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।


4- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(प्रेम सिंह मिश्रा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- सं०सं०-८ डी०(पुनर्विनियोग)-०८-१४/२०१७- 157 पटना, दिनांक- 31/3/17
प्रतिलिपि:- अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव ।

सं०सं०-८ डी०(पुनर्विनियोग)-०५-१४/२०१७- 157
पटना, दिनांक- 31/3/17

प्रतिलिपि:- अनुसूची के प्रतियों के साथ कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/ उप सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा 1जी०/८ डी०/सांख्यिकी कोषांग अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव ।

157

110

9

अतिरिक्त/अनुदान
के लिए आवेदन-पत्र।
पुनर्विनियोग

ज्ञाप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष "2251-सविलाय-सामाजिक सेवाएँ ,उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष -0023 -अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड- N2251000900023 (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 1301-कार्यालय व्यय इकाई में ₹2,15,000/- (दो लाख पंद्रह हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त उपबन्ध हेतु

.....के क्रम में
..... स्वीकृति के लिए
..... को उपस्थापित।

अतिरिक्त/अनुदान


प्रस्तावित पुनर्विनियोग

की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

व्ययन

—पदाधिकारी का पदनाम - उपर सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग
अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण पुनर्विनियोग यदि कुछ हो- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष ज्ञाप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 गैरयोजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा, 0011- "छात्रवृत्तियां और वृत्तियां" विपत्र कोड- N2225012770011 के 3302-मुआवजा ईकाई में ₹10,00,00,000/- (दस करोड़ रू०) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से मुख्य शीर्ष "2251- सविलाय-सामाजिक सेवाएँ ,उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष -0023 -अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड- N2251000900023 के अन्तर्गत 1301-कार्यालय व्यय इकाई में ₹2,15,000/- (दो लाख पंद्रह हजार रुपये) मात्र मात्र का अतिरिक्त का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध प्रस्तावित हैं।


29.3.17

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग
कल्याण बखर, पटना

स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण।

1144